गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 615/25 मा० C 001/PB/2022 दिनांक 31/8/2022

"सार्वजनिक सूचना"

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 एम0एन0जी रियलटेक एल.एल.पी. द्वारा खसरा संख्या– 1073, 1074 व 1075 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा संख्या– 1073 ग्राम नूरनगर का भू–उपयोग 45 मी0 चौडे प्रस्तावित जोनल मार्गधिकार छोडने के उपरान्त शेष भाग आवासीय तथा खसरा संख्या–1074 व 1075 का भू–उपयोग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1120/8–23–16–28 विविध/16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29.12.16 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जा सकेंगा।

उपाध्यक्ष 29/8/22
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण